# GOVERNMENT OF INDIA <br> MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS <br> RAJYA SABHA <br> UNSTARRED QUESTION NO. 1589 <br> ANSWERED ON 14/03/2023 

## RECRUITMENT OF MERCHANT NAVY PROFESSIONALS

## 1589. SHRI TIRUCHI SIVA:

Will the Minister of PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS be pleased to state:
(a) whether the demand for merchant navy professionals has increased due to increasing commercial activities over the last few years;
(b) if so, the details thereof and the number of merchant navy professionals recruited in the last three years;
(c) whether Government has prepared any scheme to conduct a special recruitment drive to overcome the shortage of merchant navy officers; and
(d) if so, the details thereof, and if not, the reasons therefor?

## ANSWER <br> MINISTER OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS (SHRI SARBANANDA SONOWAL)

(a) Yes Sir.
(b) The number of Indian Seafarers engaged in the last 03 years is given below:-

| Year | Total No. of seafarers engaged |
| :---: | :---: |
| 2020 | $2,24,478$ |
| 2021 | $2,05,787^{*}$ |
| 2022 | $2,50,071$ |

* Employment in the year 2020-21decreased due to the prevailing Covid-19 pandemic.
(c) \& (d) No Sir.The Directorate General of Shipping is the administrator of Indian Maritime Industry. It doesn't employ seafarers directly. The employment of seafarers is done by Shipping Company Owners/ Recruitment and Placement Services Licenses (RPSL) Companies. However, the Government has taken various measures to increase the share of Indian seafarers across the globe as given below:
i. A policy shift was made by the regulator by holding the training institutes responsible for on-board ship training of the students. Further, to release more ship-board ship-
training slots, a decision was taken to allow ship board training of officers and ratings on tugs and offshore vessels also. These two initiatives have opened additional berth for trainees.
ii. Seafarers are employed on board ships through secured path i.e. either by Indian ship owner on Indian flag ships which is well regulated under Merchant Shipping Act, 1958 or through registered RPSL under Merchant Shipping (R\&PS) Rules 2016 on foreign flag ships. This ensures the proper working conditions and welfare of the seafarers.
iii. Promulgation of new simplified Continuous Discharge Certificate (CDC) Rules in 2017 and making the entire process and issuance of CDC online has facilitated an increase in the number of Indian seafarers.
iv. Introduced e-submission of engagement \& discharge details by the Indian ship owner and registered RPSL in the DGS e-governance system.
v. Introduced a Three-Tier Mechanism of training leading to issuance of Course Completion Certificate. The Three-Tier Mechanism of Learning comprises ELearning, training at Maritime Training Institutes and passing of an On-Line Exit Examination. This novel approach helped the seafarers to take on their employment, with digitally signed e-certificates.
vi. Continuation of Maritime training during pandemic by digital/online mode.
vii. Scholarship to women candidates undergoing maritime courses has started.

Due to these continuous reformative and progressive steps taken by the Government, the number of Indian seafarers employed in the calendar year 2022 has reached the record level of 2,50,071 on national and international fleet.

## भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1589 जिसका उत्तर
मंगलवार, 14 मार्च, 2023 (23 फाल्गुन, 1944 (शक)) को दिया जाना है

## मर्चेंट नेवी पेशेवरों की भर्ती

1589 श्री तिरुची शिवा :

## क्या पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत कुछ वर्षों में बढ़ती वाणिज्यिक गतिविधियों के कारण मर्चेंट नेवी पेशेवरों की मांग में वृद्धि हुई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में कितने मर्चेंट नेवी पेशेवरों की भर्ती की गई है;
(ग) क्या सरकार ने मर्चेंट नेवी अधिकारियों की कमी को दूर करने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने के लिए कोई योजना तैयार की है: और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)
(क): जी, हां।
(ख): पिछले तीन वर्षों में काम में लगाए गए भारतीय नाविकों की संख्या नीचे दी गई है:-

| वर्ष | काम में लगाए गए नाविकों की कुल संख्या |
| :--- | :--- |
| 2020 | $2,24,478$ |
| 2021 | $2,05,787^{*}$ |
| 2022 | $2,50,071$ |

* विद्यमान कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020-21 में नियुक्ति में कमी आई।
(ग) और (घ): जी, नहीं। नौवहन महानिदेशालय भारतीय समुद्री उद्योग का प्रशासक है। यह नाविकों की सीधी नियुक्ति नहीं करता है। नाविकों की नियुक्ति नौवहन कंपनी मालिको/भर्ती और नियोजन सेवा

लाइसेंस कंपनियों (आरपीएसएल) द्वारा की जाती है। तथापि, सरकार ने नीचे दिए गए अनुसार विश्व में भारतीय नाविकों की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं:
i. प्रशिक्षण संस्थानों को छात्रों के ऑन-बोर्ड पोत प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी बनाकर विनियामक द्वारा एक नीतिगत बदलाव किया गया था। इसके साथ ही, और अधिक पोत-बोर्ड पोत-प्रशिक्षण स्लॉट जारी करने के लिए, टगों और अपतट जलयानों में भी अधिकारियों और रेटिंग्स के पोत बोर्ड प्रशिक्षण की अनुमति देने का निर्णय लिया गया था। इन दो पहलों के कारण प्रशिक्षणार्थियों के लिए अतिरिक्त बर्थ खुली हैं।
ii. नाविकों की पोतों पर ऑन-बोर्ड नियुक्ति सुरक्षित माध्यम अर्थात्, या तो भारतीय पंजीकृत पोतों पर भारतीय पोत स्वामियों द्वारा, जिनका विनियमन वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अंतर्गत किया जाता है, अथवा विदेशी पंजीकृत पोतों पर वाणिज्यिक पोत परिवहन (आरएंडपीएस) नियम, 2016 के अंतर्गत पंजीकृत आरपीएसएल के माध्यम से की जाती है। यह नाविकों की समुचित कार्य परिस्थितियों और कल्याण को सुनिश्चित करता है।
iii. वर्ष 2017 में नए सरल सतत निर्वहन प्रमाण-पत्र (सीडीसी) नियमों को लागू करके तथा सीडीसी की पूरी प्रक्रिया और इन्हें जारी करने को ऑनलाइन करने के कारण भारतीय नाविकों की संख्या में वृद्धि हुई है।
iv. भारतीय पोत स्वामियों और पंजीकृत आरपीसीएल द्वारा डीजीएस ई-गवर्नेंस प्रणाली में नियुक्ति एवं कार्यमुक्ति की ई-सबमिशन लागू की गई है।
v. प्रशिक्षण की एक तीन-स्तरीय कार्यप्रणाली को लागू करके पाठ्यक्रम समाप्ति प्रमाण-पत्र जारी किए जाते हैं। शिक्षण की तीन-स्तरीय कार्यप्रणाली में ई-लर्निंग, समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण तथा एक ऑन-लाइन एक्जिट परीक्षा उत्तीर्ण करना शामिल है। इस अनूठे दृष्टिकोण से नाविकों को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ई-प्रमाण-पत्रों के साथ अपना रोजगार प्राप्त करने में मदद मिली है।
vi. महामारी के दौरान डिजिटल/ऑन-लाइन पद्धति से समुद्री प्रशिक्षण का जारी रहना।
vii. समुद्री पाठ्यक्रम प्राप्त कर रहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए छात्रवृत्ति शुरू की गई है।

सरकार के इन सुधारात्मक और प्रगतिशील कदमों के कारण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बेड़े में नियुक्त भारतीय नाविकों की संख्या कैलेंडर वर्ष 2022 में रिकॉर्ड स्तर पर $2,50,071$ तक पहुंच गई है।

